राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ सिविल अन्तरण याचिका संख्या-43/2009

अनिल कुमार बरडिया बनाम कल्पना जैन

दिनांक-31.07.2009

माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल

श्री संजय सिंघल, अधिवक्ता-प्रार्थी की ओर से
श्री संदीप जैन, अधिवक्ता-विपक्षिया की ओर से

--

प्रार्थी अनिल कुमार बरडिया की ओर से प्रस्तुत अन्तरण याचिका अन्तर्गत धारा 24 जाप्ता दीवानी पर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया, जिसके द्वारा कल्पना जैन की ओर से पारीवारिक न्यायालय, कोटा के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-9 हिन्दू विवाह अधिनियम को किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का यही तर्क रहा है कि इसी पारीवारिक विवाद के संदर्भ में विवाह विच्छेद का प्रार्थना पत्र आगरा स्थित पारीवारिक न्यायालय में चल रहा है, जो इस प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने से पूर्व से ही लम्बित है। उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण न करते हुए यह मामला बहस अन्तिम के लिए लगा दिया गया जबकि प्रार्थी को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए उचित अवसर भी नहीं दिया गया तथा दिनांक 24.3.2009 को उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये, जिसको अपास्त करने के संदर्भ में भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षिया की ओर से यही तर्क दिया गया है कि सन् 2005 के इस पुराने प्रकरण को प्रार्थी येन-केन-प्रकारेण लम्बा करना चाहता है तथा उसके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत न करने के कारण उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी थी।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी व पत्रावली एवं दौरान बहस प्रस्तुत प्रलेखीय सामग्री का अवलोकन किया।

इस मामले में पारीवारिक न्यायालय, कोटा की आदेशिकाओं को देखने से यह परिलक्षित हो रहा है कि दिनांक 15.12.2006 को तनकीयात बनायी गयी तथा दिनांक 13.2.2009 को प्रार्थिया की ओर से अपनी साक्ष्य समाप्त की गयी तदुपरान्त लम्बित प्रार्थना पत्र का जवाब व साक्ष्य हेतु पत्रावली रखी गयी। दिनांक 3.3.2009 को प्रार्थिया ने अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया तथा अप्रार्थी द्वारा साक्ष्य के लिए समय चाहे जाने पर दिनांक 20.3.2009 को अवसर दिया गया तथा उक्त दिनांक को साक्ष्य प्रस्तुत न होने पर दिनांक 24.3.2009 को अन्तिम अवसर देते हुए एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये । दिनांक 24.3.2009 को अप्रार्थी के उपस्थित न होने तथा कोरियर के माध्यम से समय चाहने की भेजी गयी सूचना को स्वीकार न करते हुए प्रार्थी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी, जिसको अपास्त किये जाने के संदर्भ में प्रार्थना पत्र लम्बित है।

प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रकरण किसी अन्यत्र न्यायलय में अन्तरित किये जाने का कोई उपयुक्त कारण परिलक्षित नहीं हो रहा है लेकिन न्यायहित में पारीवारिक न्यायालय, कोटा से अपेक्षा की जाती है कि वे पक्षकारों को सुनकर तथा प्रार्थी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर देते हुए objectively विधि सम्मत ढंग से लम्बित प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कर अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

तदनुसार यह अन्तरण प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

(न्या0 जितेन्द्र राय गोयल)

अनिलशर्मा/-